कार्यालय नगरपालिका मण्डल नीमकाथाना (सीकर)
बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 17.04.2015 को प्रातः 11 बजे से नीमकाथाना नगरपालिका मण्डल की साधारण सभा की बैठक अध्यक्ष श्री त्रिलोक दीवान की अध्यक्षता में प्रारम्भ की गयी। जिसमें निम्नानुसार सदस्यगण उपस्थित रहे :-

1	माननीय श्रीमान् त्रिलोक दीवान	अध्यक्ष
2	'' '' राजेन्द्र कुमार	उपाध्यक्ष
3	'' श्रीमान् महेन्द्र	सदस्य
4	'' श्रीमती कमला	सदस्या
5	'' '' अणची	सदस्या
6	'' श्रीमान् हीमेश कुमार	सदस्य
7	'' '' रतन	''
8	'' श्रीमती सन्तोष	सदस्या
9	'' श्रीमान् जयप्रकाश	सदस्य
10	'' '' रूड़मल	''
11	'' '' लेखराज	''
12	'' श्रीमति अंजु देवी	सदस्या
13	'' श्रीमान् रमेश	सदस्य
14	'' '' जयचन्द	''
15	'' '' छगनलाल	''
16	'' '' बाबूलाल	''
17	'' '' शम्भूदयाल	''
18	'' श्रीमती विद्या	सदस्या
19	'' श्रीमान् शशिकान्त	सदस्य
20	'' '' गिगाराम	''
21	'' श्रीमति तीजा देवी	सदस्या
22	'' श्रीमान् होशियार सिंह लाम्बा	सदस्य
23	'' '' गिरधारी	''
24	'' श्रीमती मोनू	सदस्या

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। सदन द्वारा दौ सदस्यों के प्रियजनों का निधन होने के कारण दौ मिनट का मौन रखा जाकर श्रृद्धांजली दी गयी। तत्पश्चात् बैठक कार्यवाही निम्नप्रकार रही :-

प्र0सं0 01 गत मण्डल बैठक की पुष्टि।

अध्यक्ष महोदय द्वारा गत मण्डल बैठक की पुष्टि के संबंध में प्रस्ताव रखा गया। अधिशाषी अधिकारी द्वारा गत मण्डल बैठक कार्यवाही विवरण सदन के समक्ष पढकर सुनाई गई। जिसकी सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

प्र0सं0 02 नीमकाथाना मास्टर प्लान पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 165 के संबंध में विचार।

अध्यक्ष महोदय द्वारा मास्टर प्लान के पुनरीक्षण का प्रस्ताव रखा गया। इसी दौरान श्री महेन्द्र व श्री जयप्रकाश द्वारा पालिका क्षैत्र में स्थित जलदाय विभाग द्वारा लगाये गये सिंगल पॉईन्ट ट्यूबवैल के बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन काटे जाने का मुद्दा उठाया गया तथा इनके बिलों का भुगतान पालिका द्वारा क्यों नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि

प्रथम तो उक्त बिन्दु एजेण्डा की कार्यवाही सूची में शामिल नहीं है ओर यदि फिर भी सभी सदस्य उक्त बिन्दु को आवश्यक मानेंगे तो कार्यसूची में शामिल एजेण्डा पर विचार करने के बाद उक्त बिन्दु पर विचार किया जा सकेगा।

इस पर निम्न सभी सदस्य अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये व्यक्तव्य का विरोध करते हुये बैठक से बाहर चले गये :–

1. श्री महेन्द्र
2. श्री हिमेशकुमार
3. श्रीमती सन्तोष
4. श्री जयप्रकाश
5. श्री रूड़मल
6. श्री लेखराज
7. श्री जयचन्द
8. श्री छगनलाल
9. श्री होशियारसिंह लाम्बा

तत्पश्चात् पुनः अध्यक्ष महोदय द्वारा मास्टर प्लान के पुनरीक्षण पर चर्चा प्रारम्भ की गयी। श्री गिरधारी ने बताया कि जो मास्टर प्लान बनाया गया है, उससे लगता है कि वास्तविकता से दूर किसी कार्यालय में बैठकर बनाया गया है। श्री शशिकान्त मोदी ने बताया कि वर्तमान भू उपयोग में लोगों के मकान नहीं दिखा रखे, रास्ते नहीं दिखा रखे हैं तथा अधिकतर जानकारियां भ्रामक तरीके से पेश की गयी हैं। उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्रकुमार ने कहा कि वर्तमान भू उपयोग ही सही नहीं दिखाया तो भविष्य का प्लान लागू किया जाना व्यावहारिक नहीं है तथा उन्होंने कहा कि गत बोर्ड में भी मैं सदस्य था व गत बोर्ड में सभी सदस्यों द्वारा इस पर ऐतराज जताया गया था तथा मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी एवम् राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर ही स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 165 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मास्टर प्लान को वास्तविकता के नजदीक लाने के लिए नगर नियोजन विभाग के माध्यम से समुचित कार्यवाही संपादित की जाकर अथवा अन्य कार्यवाही जो भी नियमों के अंतर्गत आती हो पूर्ण की जाकर, सक्षम स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे व इसके लिए जो भी राशि खर्च होती है, उसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्र0सं0 03 प्लॉट के उपविभाजन/पुर्नगठन के शुल्क के संबंध में विचार।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि प्लॉट के उपविभाजन/पुर्नगठन के संबंध में पालिका में प्रकरण प्राप्त होते रहते हैं। इस संबंध में नियमों/निर्देशों में इसके शुल्क के संबंध में स्पष्ट नहीं है। अतः इसके संबंध में मण्डल द्वारा शुल्क निर्धारित किया जाना उचित रहेगा।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि 10/–रू0 प्रतिवर्गमीटर की दर से अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश यदि कोई दिये गये हैं या दिये जाते हैं, तो उसके अनुसार शुल्क जमा किया जावे।

प्र0सं0 04 पालिका क्षेत्र/मुख्य बाजारों में आवारा पशुओं की रोकथाम के संबंध में विचार।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वर्तमान में पालिका क्षैत्र में तीन प्रकार के आवारा पशुओं से कस्बेवासी ज्यादा परेशान हैं। जिनमें 1. गाय व साण्ड 2. बंदर 3. सूअर शामिल हैं। अतः इनकी रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित रहेगा।

सर्वप्रथम गाय व साण्डों के बारे में सदस्यों द्वारा चर्चा में भाग लेते हुये बताया गया कि इनके लिए विभिन्न स्थानों पर गउशाला बनी हुयी हैं। श्री गिरधारी ने बताया कि उनमें पहले से ही क्षमता से अधिक गाय होने के कारण से कोई भी गउशालायें गाय लेने के लिए तैयार नहीं होती हैं।

बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि गाय व साण्डों को

पकड़ने, परिवहन करने के खर्चें की व 2000/— रू0 प्रति गाय/साण्ड गउशालाओं को अनुदान दिये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसके लिए गउशालाओं से संपर्क करने हेतु उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार व श्री गिरधारी को अधिकृत किया जाता है तथा यदि उपरोक्त संभव नहीं हो, तो बालेश्वर के जंगलों में इनके लिए प्राकृतिक चारा उपलब्ध है। अतः गाय व साण्डों को पकड़वाकर वहां तक छुड़वाया जावे। उक्त कार्य पर खर्च होने वाली राशि व्यय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी जाती है।

इसी प्रकार बंदरों के बारे में सदस्यों ने चर्चा कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बंदरों की वजह से आमजन काफी परेशान हैं। अतः बंदरों को पकड़वाने हेतु निविदा सूचना जारी की जाकर कार्यवाही की जावे, इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा बंदरों को जंगलों में छुड़वाया जाने की पालिका द्वारा व्यवस्था की जावे, जिस पर खर्च होने वाली राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसी प्रकार सूअरों के बारे में सदस्यों ने चर्चा में भाग लेते हुये कहा कि कुछ लोगों ने सूअर पालन को व्यापार बना रखा है तथा उनके द्वारा ही पालिका क्षैत्र में सूअर छोड़े जाते हैं। इस पर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जिन लोगों द्वारा इनका व्यापार किया जा रहा है। अतः उनकी सूची मंगवायी जाकर उन्हें सूअर खुले नहीं छोड़े जाने हेतु नोटिस जारी कर पाबन्द किया जावे यदि फिर भी उनके द्वारा रोकथाम नहीं की जाती है, तो माननीय न्यायालय में उनके विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया जावे।

प्र0सं0 05 स्वच्छ भारत मिशन की कार्ययोजना पर विचार।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सीटी लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में कपिल मण्डी, खेतड़ी मोड़, रेल्वे फाटक के पास, बीएसएनएल कार्यालय के पास टॉयलेट तथा वार्ड नं. 07 में रामदेव मंदिर के पास, सिंगीवाल कॉलोनी में सामुदायिक शौचालय बनाये जाने तथा पालिका क्षैत्र में बने हुये टॉयलेटों की रिपेयर किये जाने का प्रस्ताव लिया गया था तथा इसी प्रकार गांवड़ी मोड़ से सिरोही नदी तक, खेतड़ी रोड़ पर, पालिका क्षैत्र में तथा श्मशान भूमियों में पेड़ लगाये जाने उचित रहेंगे।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि कपिल मण्डी, खेतड़ी मोड़, रेल्वे फाटक के पास, बीएसएनएल कार्यालय के पास टॉयलेट निर्माण तथा वार्ड नं. 07 में रामदेव मंदिर के पास, सिंगीवाल कॉलोनी में सामुदायिक शौचालय बनाये जाने तथा पालिका क्षैत्र में बने हुये टॉयलेटों की रिपेयर/पुर्ननिर्माण किये जाने उचित रहेंगे। अतः इन कार्यों पर व्यय होने वाली राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी के साथ पालिका क्षैत्र में गांवड़ी मोड़ से सिरोही नदी तक, खेतड़ी रोड़ पर तथा श्मशान भूमियों में 500 पेड़ लगाये जाने, पेड़ों को पालने, सुरक्षा रखने, पानी डालने, खाद डालने हेतु प्रति पेड़ के हिसाब से निविदा सूचना जारी की जावे। मुख्यतया नीम, शिरीष, शीशम के पेड़ लगवाये जावें। इस कार्य पर व्यय होने वाली राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा पालिका क्षैत्र के शौचालयों, पेशाबघरों की सप्ताह में कम से कम एक बार दमकल वाहन से पानी डलवाकर सफाई करवायी जावे तथा शौचालयों व सामुदायिक शौचालयों की साफ सफाई हेतु भी एक वर्ष का ठेका छोड़ा जावे, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्र0सं0 06 सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियम अन्तर्गत राज0न0पा0 अधि0 2009 की धारा 253 के संबंध में विचार।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि नगरपालिका क्षैत्र में यानों की पार्किंग की समस्या होने के कारण से वाहन रोड़ पर खड़े कर दिये जाते हैं, जिससे आवागमन में काफी बाधा उत्पन्न होती है। अतः इसके लिए पार्किंग क्षैत्र निर्धारित किया जाना उचित होगा।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 253 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि खेतड़ी

मोड़ से कपिल मूर्ति तक, कपिल मूर्ति से कपिल मण्डी मुख्य रोड़ पर, सुभाष मण्डी मुख्य सड़क शाहपुरा रोड़ तक, कपिल मूर्ति से रेल्वे फाटक तक के क्षेत्र को नो पार्किंग क्षेत्र घोषित किया जाता है तथा कपिल मूर्ति से पोस्ट ऑफिस तक मुख्य रोड़ के बाईं तरफ का क्षेत्र तथा धर्मकांटे से गोयल टैन्ट हाउस शीतला माता मंदिर तक के क्षेत्र से अतिक्रमण को हटवाया जाकर उक्त स्थानों पर पार्किंग स्थल निर्धारित किया जावे। उक्त पार्किंग क्षेत्र का नगरपालिका द्वारा ठेका छोड़ा जावे तथा ठेकेदार द्वारा पार्किंग शुल्क हेतु प्रति गाड़ी 20/- रू0 पार्किंग शुल्क लिया जाना निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा अन्य स्थान जहां रोड़ पर रिपेयर के लिए व अन्य गाड़ीयां खड़ी रहती हैं उनसे तथा नो पार्किंग में खड़े होने वाले वाहन मालिकों से 50/-रू0 की कम से कम पैनल्टी वसूलने का भी ठेकेदार ही हकदार होगा। कपिल मण्डी में बड़ के नीचे टैम्पू स्टेण्ड, रामलीला मैदान व पुराना बस स्टेण्ड को बस स्टेण्ड घोषित किया जावे। अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यापारिक संगठनों व रेहड़ीधारकों की प्रतिनिधियों की बैठक बुलायी जाकर उनसे सुझाव व सहयोग लिया जावे तथा पार्किंग स्थल व वेण्डींग जोन के संबंध में आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु कार्यपालक समिति की बैठक बुलायी जाकर अंतिम निर्णय लिया जावे। उक्त पार्किंग व नो पार्किंग जोन के संबंध में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय व श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक महोदय को सहयोग हेतु पत्र लिखा जावे। कपिल मण्डी में नगरपालिका की जमीन जो, कि सब्जी मण्डी के नाम से जानी जाती है, उसकी लेवलिंग करवाई जाकर उसे निःशुल्क मोटरसाईकिल स्टेण्ड के तौर पर काम में लिया जावे।

प्र0सं0 07 यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने अंतर्गत धारा 252 के संबंध में विचार।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में दिन के अंदर यातायात का काफी दबाव बना रहता है तथा उसी दौरान ट्रक भी पालिका क्षैत्र से गुजरते रहते हैं, जिससे यातायात जाम बना रहता है। अतः इसके समाधान हेतु निर्णय लिया जाना उचित होगा।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 252 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि खेतड़ी मोड़ से रेल्वे फाटक तक तथा कपिल मण्डी, सुभाष मण्डी, रामलीला मैदान में ट्रकों के लिए प्रातः 10 बजे से रात्रि 6 बजे तक नो एंट्री जोन घोषित किया जाता है तथा इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यापारिक संगठनों व रेहड़ीधारकों की प्रतिनिधियों की बैठक बुलायी जाकर उनसे सुझाव व सहयोग लिया जावे तथा आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु कार्यपालक समिति की बैठक बुलायी जाकर अंतिम निर्णय लिया जावे।

प्र0सं0 08 नीमकाथाना (नगरीय पथ विक्रेता विनियमन) उपविधि, 2015 के अनुमोदन पर विचार।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि नगरपालिका नीमकाथाना की नियम उपनियम और विधि समिति द्वारा बैठक दिनांक 25.03.2015 में नगरपालिका नीमकाथाना (नगरीय पथ विक्रेता विनियमन) उपविधियां, 2015 प्रस्तावित की गयी थी। जिन पर सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रण हेतु राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 26.03.2015 को विज्ञप्ति जारी की जाकर 15 दिवस तक आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। निर्धारित अवधि तक किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष के समक्ष कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त उपविधि मण्डल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

उक्त उपविधी के बारे में सदस्यों ने चर्चा में भाग लेते हुये सर्वसम्मति से नियम उपनियम और विधि समिति द्वारा प्रस्तावित उपविधि लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त उपविधि में वेंडिंग जोन व नोन वेंडिंग जोन में संशोधन करने का अधिकारी मण्डल की नियम उपनियम और विधि समिति को होगा।

प्र0सं0 09 कपिल अस्पताल से खेतड़ी मोड़ के मध्य मुख्य स्टेट हाईवे पर श्री सत्यनारायण शर्मा की दुकान से चूड़ावास में जाने वाले रास्ते तक मुख्य सड़क को चौड़ा करने व अन्य स्थानों पर सड़कों को चौड़ा करने के संबंध में विचार।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कपिल अस्पताल से खेतड़ी मोड़ के मध्य मुख्य स्टेट हाईवे पर श्री सत्यनारायण शर्मा की दुकान से चूड़ावास में जाने वाले रास्ते तक मुख्य सड़क काफी संकरी है। जिससे यातायात बाधित होता रहता है। इसके बारे में सभी पार्षदों ने बताया कि यातायात के दबाव को देखते हुये यहां काफी संकरा रोड़ है तथा पालिका क्षेत्र में अन्य कई स्थानों पर भी ऐसी ही स्थिती है। उपरोक्त स्थान पर जो निर्माण है वह काफी पुराना तथा सीटी सर्वे में दर्ज है। इनके भू स्वामियों से कुछ पार्षदों द्वारा इस संबंध में संपर्क भी किया गया। श्री शशिकान्त ने बताया कि भू स्वामियों का कहना है, कि हम स्वेच्छा से यहां पर हमारे निर्माण को रोड़ चौड़ी करने हेुत हटाने के लिए तैयार हैं। जिसमें हमारी काफी भूमि जायेगी। जिसके लिए हम निम्न शर्तों पर सहमत हैं :–

1. हमें 1/– रू0 शुल्क पर वाणिज्यक पट्टा दिया जावे।
2. रोड़ के मध्य से 30′ छोड़कर हम जीरो सैट बैक पर व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति नगरपालिका द्वारा बिना किसी शुल्क के दी जावे।

बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि यह बहुत अच्छी शुरूआत है। इस पर मंडल स्तर पर इसकी स्वीकृति दी जाती है, पालिका स्तर पर इस संबंध में कार्यवाही की जावे तथा यदि नियमों में आवश्यक हो, तो नगर नियोजन विभाग/ स्वायत्त शासन विभाग को प्रस्ताव भिजवाया जावे। इसके साथ ही अन्य ऐसे प्रकरणों पर भवन स्वामियों से संपर्क कर इसी तरह के प्रस्ताव लेकर मंडल की स्वीकृति मानते हुये कार्यवाही की जावे।

उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा उक्त के अलावा निम्न ओर प्रस्ताव लेने का अध्यक्ष महो0 से स्वीकृति चाही, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृति दी गयी। निम्न प्रस्ताव जोड़े जाने की सर्वसम्मति से अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी :–

अन्य प्र.सं. 1 विकास निर्माण कार्यों के टेण्डर पर पी.जी. राशि जमा करने पर विचार व कार्यों की गारंटी अवधि 2 वर्ष किये जाने पर विचार।

सदस्यों ने बताया कि नगरपालिका मण्डल की पूर्व बैठक में विकास निर्माण कार्यों की एस.डी. राशि को 6 माह से अधिक समय तक रोककर भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया था। जबकि पालिका द्वारा पीडबल्यूडी के नियमों के अनुसार कार्य करवाया जाता है। जिसके अनुसार ही एसडी राशि निर्धारित समय तक रोकी जानी उचित होगी तथा इसी प्रकार मण्डल बैठक में पी.जी. राशि के स्थान पर बैलेन्स बीड का नियम लागू किया गया था।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि पूर्वानुसार ही पीडबल्यूडी के नियमानुसार निर्धारित अवधि तक एसडी राशि रोकी जावे तथा बैलेन्स बीड की शर्त को भी हटाया जाता है।

अन्य प्र.सं. 2 पालिका स्टोर में उपलब्ध नकारा वाहनों की नीलामी पर विचार।

सदस्यों ने बताया कि पालिका में एक ट्रैक्टर, एक जीप, एक टैम्पू व एक मोटरसाईकिल काफी नकारा स्थिति में काफी वर्षों पूर्व से उपलब्ध हैं। जिनके दस्तावेजों के संबंध में अधिशाषी अधिकारी से जानकारी चाही जाने पर बताया गया कि कुछ वाहनों के दस्तावेज भी पालिका में उपलब्ध नहीं है तथा उक्त वाहन काफी पुराने खराब हालत में हैं।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि पालिका स्टोर में उपलब्ध उक्त नकारा वाहनों की नियमानुसार नीलामी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अन्य प्र.सं. 3 जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग से पाईप लाईन डाले जाने हेतु रोड़ कटिंग की स्वीकृति के लिए प्राप्त पत्र पर विचार।

सदस्यों ने जानकारी चाही कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग से पाईप लाईन डाले जाने हेतु नगरपालिका से रोड़ कटिंग की स्वीकृति चाही गयी है। उससे संबंधित

पत्रावली सदन के समक्ष प्रस्तुत कि जावे। इस पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा पत्रावली सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

इस संबंध में सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी। सदस्यों ने बताया कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग चाहता है, कि रोड़ कटिंग कर पाईप लाईन उसी ठेकेदार द्वारा ठीक करवायी जावेगी। जबकि सीसी रोड़ एक बार रोड़ कटिंग करने पर पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा उसकी रिपेयर संभव नहीं है।

बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को उनकी संपूर्ण कार्ययोजना जैसे कौनसी सड़क की कटिंग की जायेगी, कितनी लंबाई में कितनी चौड़ाई में रोड़ तोड़ी जानी है, उसका प्लान तथा रिपेयर पर होने वाले खर्च का तकमीना बनाकर पालिका को प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा जावे तथा रिपेयर पर होने वाले खर्च का पालिका द्वारा अभियंता से जांच करवायी जाकर उक्त राशि पालिका में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग या ठेकेदार द्वारा जमा करवायी जावे। जिससे पालिका द्वारा रिपेयर या पुर्ननिर्माण करवायी जा सके। उपरोक्त शर्त पर पालिका द्वारा रोड़ कटिंग की स्वीकृति प्रदान की जावे।

अन्य प्र.सं. 4 कपिल मण्डी में पीपल के पेड़ का गट्टा निर्माण किये जाने की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार।

सदस्यों ने बताया कि श्री रामेश्वरलाल सैनी व अन्य के द्वारा कपिल मण्डी में डॉ0 छोगालाल के क्लिनीक के सामने स्थित पीपल के पेड़ के गट्टा निर्माण करवाये जाने की स्वीकृति हेतु नगरपालिका में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो सदन के समक्ष रखा जावे। इस पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि उक्त स्थान पर पालिका द्वारा इसी बैठक में पार्किंग जोन बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

अन्य प्र.सं. 5 सीटी सर्वे की प्रमाणित प्रति मंगवाने पर विचार।

सदस्यों ने बताया कि पालिका में सीटी सर्वे का उपलब्ध रिकॉर्ड काफी जीर्ण–शिर्ण अवस्था में उपलब्ध है। इसके अलावा पट्टों के पुराने रजिस्टर भी खराब स्थिती में उपलब्ध हैं। जिसके लिए सीटी सर्वे का रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति भू प्रबन्धन विभाग से मंगवायी जानी उचित होगी तथा पट्टों के रजिस्टरों की प्लास्टिक लेमिनेशन करवाया जाना उचित होगा।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि सीटी सर्वे की प्रमाणित प्रति हेतु भू प्रबन्धन विभाग, जयपुर में आवश्यक शुल्क जमा करवाये जाने तथा पट्टों के रजिस्टरों की प्रत्येक पेज की प्लास्टिक लेमिनेशन करवाये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अन्य प्र.सं. 6 पानी/बिजली की एनओसी हेतु अध्यक्ष महोदय के साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय को अधिकृत किये जाने पर विचार।

सदस्यों ने बताया कि मण्डल की पूर्व बैठक में वार्ड पार्षद व अध्यक्ष महोदय को पालिका की तरफ से पानी/बिजली की एनओसी जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था। इस पर सदस्यों ने बताया कि अध्यक्ष महोदय कई बार कार्य की अधिकता होने के कारण से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जिससे उक्त एनओसी प्राप्त करने में आमजन को विलम्ब हो जाता है।

इस पर बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अध्यक्ष महोदय के साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय श्री राजेन्द्रकुमार को भी उक्त एनओसी जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। निर्णय की सूचना अधिशाषी अधिकारी द्वारा दोनों विभागों को भिजवायी जावे।

अन्य प्र.सं. 7 पालिका कार्यालय की मरम्मत के संबंध में विचार।

सदस्यों ने बताया कि पालिका कार्यालय की मरम्मत करवाया जाना आवश्यक है। इसके लिए अध्यक्ष, अधिशाषी अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता के कक्ष व मिटिंग हॉल में फाल्स सिलिंग करवायी जानी उचित होगी तथा पालिका कार्यालय में पेशाबघरों का निर्माण करवाया जाना व एयरकंडीशनर लगवाये जाने उचित होंगे।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अध्यक्ष कक्ष, अधिशाषी अधिकारी कक्ष, मिटिंग हॉल में फाल्स सिलिंग करवायी जावे तथा कनिष्ठ अभियंता का कक्ष उपाध्यक्ष महोदय को आवंटित किया जावे तथा उसमें भी फाल्स सिलींग करवायी जावे। साथ ही मिटिंग हॉल में चार, अध्यक्ष कक्ष में एक तथा उपाध्यक्ष के कक्ष में एक व अधिशाषी अधिकारी कक्ष में एक एयरकंडीशनर लगवाया जावे तथा कार्यालय में महिलाओं व पुरूषों के लिए पृथक–पृथक पेशाबघर बनवाये जावें तथा संपूर्ण कार्यालय की फिटिंग करवायी जावे। उक्त समस्त कार्यों पर व्यय होने वाली राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अन्य प्र.सं. 8 पालिका कार्यालय में सी.सी.टी.वी. कैमरा व इंटरकॉम लगाने पर विचार।

सदस्यों ने बताया कि पालिका में मॉनिटरिंग हेतु सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना उचित होगा। इस पर चर्चा में भाग लेते हुये सदस्यों ने उक्त व्यवस्था किया जाना उचित बताया।

बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पालिका कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा व इंटरकॉम लगाये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। अध्यक्ष महोदय व अधिशाषी अधिकारी स्वयं अपनी देखरेख में उक्त कार्य करवावें।

अन्य प्र.सं. 9 स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.55( )सीई/डीएलबी/15/7077 दिनांक 11.03.2015 के संबंध में विचार।

सदस्यों ने स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.55( )सीई/डीएलबी/15/ 7077 दिनांक 11.03.2015 के संबंध में जानकारी चाही गयी। इस पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा परिपत्र की एक एक प्रति सभी सदस्यों को उपलब्ध करवायी गयी तथा बताया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में सफाई एवं उनके निरीक्षण संबंधी जो प्रावधान दिऐ गए हैं, उन प्रावधानों के अध्यधीन नगर निकाय क्षेत्र में शुल्क/जुर्माना/सजा का निर्धारण किया गया है।

बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि स्वायत्त शासन विभाग के उक्त परिपत्र अनुसार नगरपालिका द्वारा कार्यवाही की जावे।

अन्य प्र.सं. 10 स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.55( )सीई/डीएलबी/15/ 6625 दिनांक 11.03.2015 के संबंध में विचार।

सदस्यों ने स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ.55 ( ) सीई/डीएलबी/15/ 6625 दिनांक 11.03.2015 के संबंध में जानकारी चाही गयी। इस पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक एक प्रति सभी सदस्यों को उपलब्ध करवायी गयी तथा बताया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 की उपधारा (4) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन) नियम, 2009 को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन व हथालन) उपविधियां बनाई गई हैं।

बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि स्वायत्त शासन विभाग के उक्त अधिसूचना अनुसार नगरपालिका द्वारा कार्यवाही की जावे।

अन्य प्र.सं. 11 खाद्य सुरक्षा के संबंध में विचार।

सदस्यों ने बताया की राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र पाये गये राशनकार्डधारियों की जांच करवायी जा रही है। जिसके अंतर्गत जांच कमेटी में नगरपालिका कनिष्ठ अभियंता को शामिल किया गया है। जबकि पालिका कनिष्ठ

अभियंता के पास विकास निर्माण कार्यों, निर्माण स्वीकृति, पट्टों से संबंधित पत्रावलियों में रिर्पोट किये जाने के संबंध में काफी कार्य है तथा कनिष्ठ अभियन्ता दूसरे राज्य के भी रहने वाले हैं, जिस वजह से नीमकाथाना के वासियों के संबंध में इनको काफी कम जानकारी है तथा खाद्य सुरक्षा में जांच कमेटी में शामिल किये जाने के कारण से उक्त कार्यों में काफी व्यवधान हो रहा है।

बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि पालिका कनिष्ठ अभियंता के स्थान पर श्री बैद्यनाथ शर्मा, सहायक राजस्व निरीक्षक को लगाया जाकर सर्वे कार्य अविलम्ब पूर्ण करवाया जावे।

अन्य प्र.सं. 12 **श्री फूलचन्द यादव, वार्ड नं. 03, नीमकाथाना द्वारा राशि लौटाने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार।**

सदस्यों ने बताया कि श्री फूलचन्द यादव, वार्ड नं. 03, नीमकाथाना द्वारा रेन्टल टैक्स वसूली हेतु की गयी नीलामी के संबंध में जमा करवायी गयी अग्रिम राशि वापिस लौटाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र सदन के समक्ष प्रस्तुत है। इस पर चर्चा से पूर्व श्रीमती कमला देवी, सदस्य ने कहा कि यह मेरे परिवार से संबंधित प्रकरण है, मैं इसमें भाग नहीं ले सकती हूं तथा अध्यक्ष की स्वीकृति लेकर सदन से बाहर चली गयी।

सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र पर चर्चा दौरान कहा गया, कि पालिका द्वारा श्री यादव को कार्यादेश जारी नहीं किया गया था। राशि वापिस लौटाने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। अतः 1000/– रू0 अखबार में पुनः सूचना प्रकाशन की राशि काटकर तथा जितने दिन इस वजह से पुनः निविदा कर कार्यादेश दिये जाने में विलम्ब हुआ है, उतने दिन की राशि काटकर शेष राशि का भुगतान किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अन्य प्र.सं. 13 **नगरपालिका क्षैत्र में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की सिंगल पॉईन्ट ट्यूबवैलों के काटे गये कनेक्शनों के संबंध में विचार।**

सदस्यों ने बताया कि इसी बिन्दु का बहाना लेकर माननीय विपक्षी सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया था ओर अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वस्त भी किया था, कि कार्यसूची में शामिल बिन्दुओं के पश्चात् इस पर विचार कर लिया जावेगा।

इस बिन्दु पर सदस्यों ने चर्चा की। इसी दौरान श्रीमती कमला देवी, सदस्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेकर बैठक में पुनः सम्मिलित हो गई। श्री रतन ने बताया कि पालिका क्षेत्र में पूर्व विधायक के कार्यकाल में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने कुछ सिंगल पॉईन्ट ट्यूबवैल तथा टंकी रखवायी गयी थी ओर उनके कनेक्शन की फाईल नगरपालिका द्वारा लगवायी गयी थी। जिसके डिमाण्ड नोटिस का भुगतान भी जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा किया गया था। किन्तु बिजली विभाग में विधुत उपभोग के बिल जमा नहीं कराने पर बिजली विभाग द्वारा उक्त सिंगल प्वाईंट का कनेक्शन काट दिया गया। जिससे जनता को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किन्तु श्री गिरधारी ने बताया कि इसमें से कुछ प्वाईंट तो एससी/एसटी कोटे के थे, जिनके बिजली बिल का भुगतान जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा ही किया जाना था ओर उनमें से कुछ को चालू भी करवा दिया गया है तथा कुछ अभी भी बंद हैं।

बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण की संपूर्ण जांच करवायी जाकर जिन बिलों का भुगतान नगरपालिका द्वारा किया गया था। उनका भुगतान नगरपालिका से करवाये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा जिनका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। उनका भुगतान अध्यक्ष महोदय द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग से करवाये जाने की कार्यवाही की जावे।

अन्य प्र0सं014 **श्मशान घाट, छावनी में सहभागी योजना के तहत कार्य करवाये जाने की स्वीकृति पर विचार।**

श्री गीगाराम, श्री छगनलाल व श्रीमती तीजा देवी ने बताया कि श्मशान घाट, छावनी में सहभागी योजना के तहत चार दिवारी की उंचाई करने, मरम्मत करवाने, तारबंदी करवाने, दोनों तरफ सी.सी. रोड़ निर्माण करवाने व मोक्ष द्वार बनवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पालिका में प्रस्तुत किया गया था। इस पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सहभागी योजना के तहत श्मशान घाट छावनी में सहभागी योजना के तहत चार दिवारी की उंचाई करने, मरम्मत करवाने से संबंधित कार्य करवाया जा सकता है। अतः उक्त कार्य करवाने हेतु कनिष्ठ अभियंता से तकमीना तैयार करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा तकमीना अनुसार राज्य सरकार के नियमों के अनुसार निर्धारित राशि संबंधित से जमा की जाकर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को भिजवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नीमकाथाना

क्रमांकः न0पा0नीम0 / 2015–16 / दिनांकः

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् उपशासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, सीकर।
3. श्रीमान् उपनिदेशक(क्षैत्रीय)महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
4. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, नीमकाथाना।
5. माननीय श्री प्रेमसिंह बाजोर, विधायक महोदय, नीमकाथाना।
6. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नीमकाथाना।
7. श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नीमकाथाना।
8. श्रीमान् वार्ड पार्षद श्री / श्रीमती.. .... ।
9. समस्त शाखा प्रभारी को पालनार्थ।
10. गार्ड पत्रावली।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नीमकाथाना